

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax : 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ.ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ" ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,
21, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ-110008
H.O. Account & Audit Department
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor
21, Rajendra Place, New Delhi-110008

ਸੰਦਰਭ/Ref. No.

ਦਿਨਾਂਕ/Dated:

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2017-18

March 12, 2018

To,

Bombay Stock Exchange Limited, Department of Corporate Services, 25 th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. SCRIP ID : PSB SCRIP CODE : 533295	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. SYMBOL: PSB SERIES: EQ
--	--

Dear Sir,

Reg: Publication of Corrigendum to Extraordinary General Meeting.

We are forwarding a copy of Corrigendum to Notice for Extraordinary General Meeting of shareholders of Punjab & Sind Bank scheduled to be held on 19.03.2018. The Corrigendum was published in Business Standard (English newspaper and Hindi newspaper) on 09.03.2018.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

[Ajit Singh Ahuja]
Company Secretary

विज्ञानेस २०१३

09/03/2018



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय : 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

असाधारण सामान्य बैठक - शुद्धिपत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3, सैक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में सोमवार, 19 मार्च, 2018 को प्रातः 10:00 बजे को आयोजित की जाने वाली बैठक के नोटिस जारी हो जाने के पश्चात, बैंक को एन.एस.ई. से दिनांक 08.03.2018 का संप्रेषण प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि संबंधित तिथि 16.02.2018 मानी जानी चाहिए। तदनुसार, उक्त नोटिस के विशेष प्रस्ताव की मद संख्या 1 संशोधित की जाती है और निम्न प्रकार रहेगी:

मद संख्या 1

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद "योजना" कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 (जिसे इसके बाद "विनियमन" कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में "अधिनियम" कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (मा.स.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति और स्वीकृति के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) अधिनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 (एल.ओ.डी.आर.) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबंध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक को इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जो इसके बाद संकल्प में "निदेशक मंडल" कहा गया है), जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित, उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो/की जानी हो, प्रदान की जाती है कि निदेशक मंडल द्वारा इक्विटी के माध्यम से जिसका अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर है, को रु. 785 करोड़ के शेयरों को अधिमान के आधार पर निर्धारित मूल्य रु. 47.72 प्रति इक्विटी शेयर (जिसमें रु. 37.72 का प्रीमियम सम्मिलित है), सेबी आईसीडीआर अधिनियम के विनियम 76 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 16,45,01,257 शेयर सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें, जारी करें और उनका आबंटन करें।"

"आगे संकल्प लिया गया है कि निर्गम मूल्य निर्धारित करने की संबंधित तिथि 16.02.2018 है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संशोधन को स्वीकार करें।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प(ओं) के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले और आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अमूर्त रूप में जारी किया जाएगा और सेबी आईसीडीआर अधिनियमों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों की शर्तों के अंतर्गत होंगे जैसा कि "सेबी आईसीडीआर अधिनियमों" की अपेक्षा के अनुसार अवरुद्धता अवधि की अनिवार्यताओं के अधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांख्यिक मार्ग निर्देशों के अनुसार बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लामाश सहित, यदि घोषित हो) समान माने जाएंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामलें और विषय पर अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित एवं आवश्यक, उचित तथा वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय (सीएमडी)/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यकारी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्ययोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उचित समझे।"

जिसके कारण विशेष प्रस्ताव के व्याख्यात्मक कथन एवं प्रकटन की मद संख्या 1 के निम्न बिंदु संशोधित किए जाते हैं :-

ख) सेबी आईसीडीआर अधिनियम के विनियम 76 के अनुसार निर्गम का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। निर्गम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए संबंधित तिथि 16.02.2018 है।

ग) बैंक के शेयर धारिता का स्वरूप, शेयर निर्गम के पहले तथा अधिमान निर्गम के बाद निम्न प्रकार होगा:

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले		निर्गम के बाद	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
क	प्रवर्तक धारिता (भारत सरकार)	31,88,22,775	79.6239	48,33,24,032	85.5574
ख	अन्य शेयरधारक	8,15,88,252	20.3761	8,15,88,252	14.4426
	कुल	400,411,027	100.0000	56,49,12,284	100.0000

भारत सरकार की निर्गम के बाद शेयरधारिता 85.5574% रहेगी और जिसके कारण नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

घ) प्रस्तावित आवंटियों की पहचान और अधिमान पूंजी निर्गम के बाद का प्रतिशत जोकि उनकी शेयरधारिता होगी तथा नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई है, अधिमान निर्गम जारी करने के बाद:

	शेयरों की संख्या	पूँजी का प्रतिशत
निर्गम से पहले	31,88,22,775	79.6239
निर्गम के बाद	48,33,24,032	85.5574

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार का बैंक के ऊपर नियंत्रण बना रहेगा और इसका अधिमान आबंटन के कारण बैंक प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि इस निर्गम में भारत सरकार को जारी इक्विटी शेयर 5% से अधिक हैं, बैंक भारत सरकार की ओर से सभी शेयर आबंटन करने की प्रक्रिया में है ताकि सेबी (शेयरों का पर्याप्त कक्षा एवं अधिग्रहण) अधिनियम, 2014 के



Business Standard
09/03/2018

16
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi - 110 008
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING - CORRIGENDUM
Subsequent to the issuance of Notice of EGM dated 19.02.2018 convening Extra Ordinary General Meeting of the Bank on Monday, 19th March 2018 at 10.00 AM at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No. 3, Sector 3, Rohini, Delhi - 110 085, Bank has received communication from NSE dated 06.03.2018 wherein it has been stated that the Relevant date should be taken as 16.02.2018. Accordingly, the Item No.1 of the Special Resolution as contained in the said Notice stands amended and will now stand as under:

ITEM NO. 1

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as Special Resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Regulations") and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed, stipulated or imposed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [SEBI (ICDR) Regulations], SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution to create, offer, issue and allot 16,45,01,257 Equity Shares to the President of India (Government of India) of the face value of Rs. 10/- each aggregating up to Rs 785 crore on preferential basis at a issue price of Rs. 47.72 per Equity Share (including premium of Rs. 37.72 per Equity Share) determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 16.02.2018.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification(s) in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of the Resolution(s) shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements, as required under "SEBI (ICDR) Regulations" and shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines and or any other law that are in force at the time of such declaration."

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the Resolutions, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director (CMD) / Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions."

Consequently following points of Item No. 1 to the Explanatory Statement & Disclosures to the Special Resolution stands modified as under:-

- b) The issue price shall be determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations. The 'Relevant Date' for ascertaining the Issue price is 16.02.2018.
c) The share holding pattern of the Bank, before and after Preferential issue of shares will be as under :

S.No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares	% age of Shares holding	No. of shares	% age of Shares holding
A	Promoter's Holding (GOI)	31,88,22,775	79.8239	48,33,24,032	85.5574
B	Other Shareholders	8,15,88,252	20.3761	8,15,88,252	14.4426
	Total	400,411,027	100.0000	56,49,12,284	100.0000

The post issue holding of the Government of India will stand at 85.5574 % and consequently, there will be no change in control.

- d) The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

	Number of Shares	Percentage of Capital
Pre - Issue	31,88,22,775	79.8239
Post - Issue	48,33,24,032	85.5574

The existing promoters of the Bank i.e. the Government of India (GOI) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management / control of the Bank as a result of the proposed preferential allotment. As the equity shares issued to GOI will be more than 5% in this Financial Year, the Bank is in the process of making an application on behalf of GOI with SEBI seeking their exemption from the applicability of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011.

